THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) Yes Sir, Government's attention have been drawn to the news-item referred to in the question.

The HKSAR Government has decided that, effective from January 18, 1999, holders of Indian passports may enter Hong Kong without visa for a period of not more than 14 days instead of 3 months as per the existing policy. For a stay of over 14 days, Indian nationals will now have to obtain visa from Chinese Embassy or Consulate in the country of origin, or, through the Hong Kong Immigration Department, before arrival.

We have conveyed our regret to the concerned authorities in China and the Hong Kong Special Administrative Region at the revision of the visa privileges for Indian passport holders visiting Hong Kong. We have requested that the earlier visa policy for Indian nationals be restored. We have pointed out that this move would adversely affect the Indian visitors (over nintey-three thousand in 1998) to Hong Kong and the smooth development of our bilateral trade which is in excess of US $ 2.5 billion.

प्रशानिक सेवाओं की जवाबदेही

*55 **श्री नरेन्द्र मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की प्रशासनिक सेवाओं में और अधिक जवाबदेही लाने के लिए कोई व्यवस्था की गई हैं; और

(ख) क्या न्यायापालिका अथवा अन्य प्रमुख संस्थाओं ने इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादाम्बूर एम. आर. जनार्दनन) : (क) प्रशासनिक सेवाओं में जवाबदेही लाने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्वति नियम-पुस्तिक में विभिन्न प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों में उस स्थिति में निपटान के स्तर और मामले को प्रस्तुत करने संबंधी चैनल का वर्णन किया गया हैं जब मौखिक विचार-विमर्श, उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये मौखिक अनुदेशों अथवा मंत्री जी से या उनकी ओर से दिये गये मौखिक अनुदेशों के संबंध में सामान्य कार्य-पद्वति अथवा नियमों और प्रक्रियाओं से विचलन करना पड़ जाता हैं। प्रशासनिक सेवाओं में अधिक जवाबदेही लाने की दृष्टि से वर्ष 1986-87 से कार्य-कलापों के कैलेन्डर के रूप में एक वार्षिक कार्य योजना प्रणाली लागू हैं जिसमें तिमाही-वार लक्ष्यों के साथ-साथ ऐसे कार्यो एवं उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया जाना होता है जिन्हे अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों आदि द्वारा हासिल किया जाता हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर तिमाही/अर्द्धवार्षिक आधार पर निगरानी रखी जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उपयुक्त परिवर्तन किये गए हैं ताकि पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धियां का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। कर्मचारियों की अपने कार्य-निष्पादन में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेवाओं की आचरण नियमावली में भी प्रावधान किये गए हैं।

प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के संबंध में सरकार की कार्य योजना तैयार किये जाने के फलस्वरूप, लोक सेवाओं के अनेक क्षेत्रों में ऐसे मानक निर्धारित करते हुए नागारिक चार्टर तैयार किये गये हैं जिनकी जनता द्वारा इस प्रकार की सेवाओं की आशा की जा सकती है। इन चार्टरों के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं को जनता के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने का प्रयास किया गया हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुए विलंब से संबंधित विशेष अनुमति याचिका में एक मामला सं. 1996 का 3337 [जे टी 1997(2) एस सी 463] निबटा रहा था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को रिट याची के मामले पर विचार करने और तर्कसम्मत आदेश द्वारा उसे दो महीने के भीतर निबटाने का निर्देश दिया था। न तो उक्त निदेश का अनुपालन किया गया न ही प्रतिवादी ने उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में समय बढ़ाए जाने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी के विरूद्व (वाद) खर्च की शासित लगाई। इसी संदर्भ में ही उच्चतम न्यायालय ने, न्यायालय के प्रति नौकरशाही की जवाबदेही के बारे में टिप्पणी की। उक्त निर्णय से प्रतीत होता हैं कि न्यायालय की यह मंशा थी कि न्यायालय के निदेशों का तुरतं अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैं और

यदि ऐसा नहीं किया जाए तो उसके संबंध में, विभागध्यक्ष अथवा संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।

Implementation of Infrastructure Projects

*56. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to take effective steps to implement big-ticket infrastructure projects; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE: MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE! IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTA TION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) Recognising the crucial role being played by infrastructure the Government have decided to take certain effective steps to implement infrastructure project particularly in power, telecom, railways, road and port sectors.

A detailed Action Plan for rapid improvement in physical infrastructure was prepared, appropriately integrated with the 9th Five Year Plan and the same was approved by the National Development Council in its meeting held on 19.2.1999.

A Task Force on Infrastructure has been constituted under the Chairmanship of Shri Jaswant Singh, the then Dy. Chairman, comprising both Government and industry representatives, with the aim of attracting investment to specific projects of national regional importance and ensuring their timely completion. The Task Force would deal with projects announced by the Prime Minister relating to development/upgradation of National Highways and international airports. The Task Force is also in the process of formulating an integrated National Transport Policy to strengthen the transport infrastructure in the country. It would also recommend steps that can significantly foster reforms in the key segments of the economy. The Task Force may be assigned such other tasks as may be found necessary from time to time.

A group on Telecommunications has been set up under the Chairmanship of Shri Jaswant Singh, to make policy recommendations on various issues concerning the telecom sector including the proposed new Telecom Policy, existing licensees of basic and cellular services and suggest appropriate remedial measures whithin the frame work of new Telecom Policy and issues pertaining to Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).

*** हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लिए गैस एजेन्सी**

*57. **श्री अनिल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुजानपुर टीरा में स्थित गैस एजेन्सी कांगड़ा जिले के कितने क्षेत्र में गैस वितरण करती हैं, और इस एजेंन्सी से कांगड़ा जिले के कितने गांव लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) उनका पंचायत-वार तथा ग्राम-वार ब्यौरा क्या हैं और इनमें सबसे अधिक दूरी पर स्थित गांव का नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इन सुदूरवर्ती गांवों में कोई गैस एजेंसी खोलने का विचार कर रही हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के. राममूर्ति) : (क) और (ख) मैसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रचालित हमीरपुर जिले से सुजानपुर टीरा स्थित आई. ओ.सी. की एल.पी. जी.डिस्ट्रीब्यूटरशिप कांगड़ा जिले की 26 पंचायतों में फैले 75 गांवों को भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। पंचायतों और गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)